



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2015 एवं I.S.O.-14001-2015 प्रमाणित संस्था

पत्रांक :

316 / 4 / ई0ई0जोन-8 / 2022-23

दिनांक: 18-10-22

शुद्धि पत्र

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में वैशाली मेट्रो स्टेशन के समीप सरफेस पार्किंग के संचालन एवं अनुसंधान कार्य हेतु निविदा अर्हता एवं संचालन के कार्य हेतु दिनांक 11.10.22 को ई-निविदा पोर्ट पर निविदा आमंत्रित की गयी है।

उक्त ई-निविदा के बिड डॉक्यूमेंट में संचालन की शर्तों के क्रम सं०-18 पर उल्लिखित "संचालनकर्ता/फर्म को पार्किंग संचालन (सरकारी/गैर-सरकारी) का न्यूनतम 02 वर्ष वाहनों के पार्किंग संचालन का अनुभव होना अनिवार्य है। संचालनकर्ता/फर्म को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय सम्प्रेक्षण/चार्टर्ड एकाउन्टेड से सत्यापित नेटवर्थ रू० 47.00 लाख, लिक्विड एसेट्स रू० 47.00 लाख, फर्म का गत तीन वित्तीय वर्ष में टर्न-ओवर रू० 1.00 करोड़ तथा राष्ट्रीयकृत/शिड्यूल बैंक द्वारा जारी रू० 50.00 (रूपये पचास लाख मात्र) का सॉल्वेन्सी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा" त्रुटिपूर्ण से प्रकाशित हो गया है। इसके स्थान पर संचालन की शर्त सं०-18 पर "संचालनकर्ता/फर्म को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय सम्प्रेक्षण/चार्टर्ड एकाउन्टेड से सत्यापित नेटवर्थ, आरक्षित दर का 25 प्रतिशत रू० 11.60 लाख, बैंक द्वारा छः माह के अन्दर जारी किया गया लिक्विड एसेट्स, आरक्षित दर का 20 प्रतिशत रू० 9.30 लाख, फर्म के गत चार वर्षों में से लगातार तीन वित्तीय वर्ष में टर्न ओवर, आरक्षित दर का डेढगुना रू० 69.60 लाख के सम्बन्धित प्रपत्रों को संलग्न करना होगा" पढा जाये। शेष नियम व शर्तें यथावत् रहेंगी।

अधिशायी अभियन्ता, जोन-8